(13)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 303/2022

संदीप पुत्र नेकीराम, जाति जाट, निवासी गाडाखेड़ा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।
—— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक झुझुनू ।
—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सपुर्दगी वाहन नं0 आर0जे0 18 जीए 8765 बमुकदमा सरकार बनाम जयसिंह प्राथमिकी संख्या 132/2022 अं0 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम पुलिस थाना पचेरी कलां मु0नं0 293/2022 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, झुंझुनूं तारीख पेशी 29.09.2022

——

उपस्थितः—

1 एडवोकट श्री संजीव कुमार सिंघल— प्रार्थी की ओर से
2 श्री कमल कुमार मीणा, विभागीय प्रतिनिधि— राज्य सरकार की ओर से

आदेश

दिनांक 06.10.2022

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी नीचे लिखे अनुसार पेश है कि प्रार्थी का वाहन उक्त प्रकरण में पुलिस थाना पचेरी कलां ने जप्त किया है जिसका प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है इसलिये सुपुर्दगी पर लेना है। वाहन खडा रहने से उसके खराब होने की सम्भावना है पुलिस को वाहन की आवश्यकता ही है। प्रकरण के निर्णय में समय लगने की सम्भावना है। प्रकरण में उक्त वाहन की आवश्यकता नही है। प्रकरण में निर्णय में काफी समय लगने की सम्भावना है इसलिये वाहन खडा रहने से खराब होने की सम्भावना है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा करने को तैयार है। अन्य उजरात वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगे। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी, पुलिस थाना, पचेरी कला से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना, पचेरी कलां से पत्रांक 3600 दिनांक 22.09.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि वाकियात मुकदमा हाजा इस प्रकार से है कि परिवादी श्री मुकेश चौधरी (आरपीएस) वृत्ताधिकारी वृत बुहाना ने एक फर्द जब्ती इस आशय की पेश की कि दिनांक 25.08.2022 को समय 5:50 एएम पर मन वृताधिकारी श्री मुकेश चौधरी आर0पी0एस0 मय श्री रतन सिह एचसी 2552, श्री भीमसिह कानि 172 मय अनुसंधान बॉक्स मय लेपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी वाहन आरजे 18 यूबी 5134 चालक श्री विजयपाल 1085 के वास्ते इलाका गस्त व चैकिंग बदमाशान [illegible] पचेरी कलां को हिदायत हुई कि 01 कानि0 को ईमदाद हेतु बस स्टैण्ड पचेरी कलां पर मि[illegible] हेतु [illegible]ना करे। समय 6:15 एएम पर मन वृताधिकारी मय जाप्ता के बस स्टेण्ड पचेरी [illegible] [illegible]0 1581, थाना पचेरी कलां मौजूद मिला जिसको हमराह लेकर रवाना होकर छोटी पचे[illegible] आगे टोलबूथ पर पहुंचा तो जरिये मुखबीर इतला मिली की गोद बलाहा हरियाणा से नावता की ओर आने वाले कच्चे रास्ते [illegible] व्यक्ति पिकअप गाडी में हरियाणा से अवैध डीजल व पैट्रोल लाकर ना[illegible] के पास कच्चे रास्ते प[illegible] रहा है। इतला विश्वनीय होने पर हमराही जाप्ता को ईतला से अवगत करवाया जाकर मन वृताधिकारी मय जाप्ता के रवाना होकर वक्त 06.30 एएम पर मुताबिक मुखबीर सूचना के नावता से गोद बलाहा जाने वाले कच्चे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.01 12:41:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

रास्ते पर पहुंचा तो वहां पर एक सफेद रंग की पिकअप गाडी खडी दिखी जिसका पिछला डाला खुला हुआ था। पिकअप गाडी के डाले के अन्दर एक व्यक्ति खडा नजर आया तथा पिकअप गाडी के पास एक मोटर साईकल खडी दिखाई दी जो पुलिस की गाडी को देखकर वहां से भाग गई। मन वृताधिकारी मय जाप्ता के पिकअप गाडी के पास पहुंचा व गाडी के पास खडे व्यक्ति को नाम पूछा तो उसने अपना नाम जयसिह पुत्र श्री रामपत, जाति जाट, उम्र 34 साल, निवासी मुरादपुर, पुलिस थाना, सिंघाना होना बताया। पिकअप गाडी के पिछे डाले में तेल डालने के दो नापे एक 01 लीटर का व एक 02 लीटर नाप था तथा एक तेल निकालने की बैरल मशीन थी। शख्स से पिकअप गाडी के बारे में पूछा तो बताया कि मैं इस पिकअप गाडी में हरियाणा से सस्ते भाव में डीजल लाकर आस–पास के गांवों में मोटरसाइकिल व ट्रेक्टर वालों को बेच देता हूं। पिकअप गाडी की चैकिंग हेतु आस–पास स्वंतत्र मोतबीर तलाश किये मगर कोई स्वतंत्र मोतबीर नही मिलने पर हमराही जाप्ता में से श्री भीमसिह कानि0 172 वृत कार्यालय बुहाना व श्री अमित कुमार कानि0 1581 थाना पचेरी कलां को मोतबिर मामुर कर गाडी व गाडी के डाले में रखे गए समान को चैक करना शुरू किया गया तो पिकअप गाडी सफेद रंग की हैं जिसके आगे नम्बर प्लेट पर आरजे 18 जीए 8765 लिखे हुये है और पीछे की नम्बर प्लेट नही लगी हुई है। आगे के मैन शीशे पर हिन्दी भाषा में राम लिखा हुआ है। गाडी के ईजन नं0 GHE1J54476 तथा चैसीस नं0 E1J71089 है। पिकअप गाडी को चैक किया गया तो पिछे की तरफ डाले में 07 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम मिले जिनको खोलकर चैक किया गया तो उक्त सभी में लगभग 200–200 लीटर डीजल भरा हुआ मिला तथा पिकअप गाडी के डाले में मिले एक छोटे नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम में लगभग 50 लीटर पैट्रोल भरा हुआ मिले हैं। इस प्रकार कुल 1400 लीटर डीजल भरा हुआ मिला तथा एक छोटे ड्रम में लगभग 50 लीटर पैट्रोल भरा हुआ मिला। पिकअप के डाले में एक ड्रमों से तेल निकालने की बैरल मशीन जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी हुई मिली तथा दो तेल नापने के नापे एक 01 लीटर का व 2 लीटर नाप मिले। शख्स जयसिह को इतनी भारी मात्रा में डीजल व पैट्रोल अपने कब्जे में रखना व विक्रय करने के सम्बन्ध में कोई लाईसेंस/अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा तो अपने पास नही होना बताया तथा बताया कि मैं हरियाणा से सस्ता तेल लाकर आस पास बोर्डर इलाको में ही बेच देता हूं। जिसको उक्त कृत्य धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराध की श्रेणी में आना पाया जाने पर पिकअप गाडी व उसमें मिले समान को कब्जा पुलिस में लिया जाकर 07 बडे ड्रमों में से एक एक कांच की बोतल में डीजल निकाला जाकर बतौर नमूना सैम्पल मार्क A से G अंकित किया गया तथा शेष बचे डीजल को उसी ड्रमो में शील्ड मोहर कर बतौर वजह सबुत मार्क A1 से G1 अंकित किया गया तथा छोटे नीले रंग के ड्रम में मिले पेट्रोल से 1 बोतल पेट्रोल बतौर नमूना निकाला जाकर मार्क H अंकित किया गया व शेष पैट्रोल को उसी नीले रंग के छोटे ड्रम में रखा जाकर मार्क H-1 अंकित किया गया। शक्स जयसिह को पृथक से गिरफ्तार किया जा रहा है। नमुना शील फर्द पर अंकित की गई। इत्यादि फर्द जप्ती पर अभियोग संख्या 132/22 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 1955 में पंजीबद्ध कर अनुसंधान मन बनवारी लाल उ0नि0/थानाधिकारी द्वारा आरम्भ किया गया। प्रकरण हाजा में दौराने अनुसंधान बयान मुस्तगीस श्री मुकेश चौधरी, व गवाह श्री रतन सिह एचसी, भीमसिह कानि0 172, अमित कुमार कानि0 1581 के दरियाफत कर बयान धारा 161 सीआरपीसी में लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये, नक्शा मौका मय हालात मौका घटनास्थल मुर्तिब किया गया, फर्दजब्ती पिकअप गाडी मय डिजल–पैट्रोल से भरे ड्रम, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम जयसिह व चैक लिस्ट अभियुक्त शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण [illegible] जयसिह से अनुसंधान किया जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली [illegible] प्रकरण हाजा में किये गये अनुसंधान बयानात मुस्तगीस व गवाहान, नक्शा मौका [illegible] फर्दजब्ती पिकअप गाडी मय डीजल पैट्रोल फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम, चैकलिस्ट अभियुक्त, [illegible] अनुसंधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य सामने आये है कि (1) प्रकरण हाजा में नामजद जयसिह पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी मुरादपुर का रहने वाला है जो गा[illegible]खेतडा निवासी संदीप भास्कर की पिकअप गाडी नंबर आर जे 18 जीए 8765 पर ड्राईवरी करता है। (2) जब्तशुदा पिकअप गाडी नम्बर आरजे 18 जीए 8765 का रजिस्टर्ड वाहन स्वामी श्री सन्दीप कुमार मौजा गाडाखेडा का रहने वाला है जिसने अपनी उक्त पिकअप गाडी पर नामजद जयसिह को ड्राईवर रख रखा है। (3) नामजद जयसिह पिकअप गाडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.01 12:41:43 IST
Reason: SelfAttested

नंबर आर जे 18 जीए 8765 पर ड्राईवरी करता है। जिस पर नामजद जयसिह वाहन स्वामी सन्दीप कुमार को बिना बताये ही इस गाडी में हरियाणा में डीजल–पैट्रोल लाकर राजस्थान में बेंचता है। (4) राजस्थान मे पैट्रोल डीजल मंहगा है और हरियाणा में डीजल–पैट्रोल सस्ता है। दोनों राज्यों में करीब तेल का अन्तर एक लीटर पर 10 रूपये का अन्तर है। इस कारण से नामजद जयसिह ने सोचा कि क्यो ना हरियाणा से पेट्रोल–डीजल लाकर उसे राजस्थान में लाकर यहां के भाव बेचकर मुनाफा कमाया जाये। यह बात स्वयं नामजद जयसिह ने अपनी पूछताछ में ताईद की है। (5) इसके बाद नामजद जयसिह हरियाणा से प्लास्टिक के ड्रमों में डीजल व पैट्रोल भरकर उक्त पिकअप गाडी में रखकर राजस्थान में लाकर बेचने लगा और मुनाफा कमाने लगा। इस समय बरसात होने पर फसल बुआई व खेतों में जुताई का काम चल रहा है। तो किसानों को अपने ट्रेक्टरों व आस पास के ईट भटटो पर डीजल–पैट्रोल की अधिक आवश्यकता होती है। जिस पर नामजद जयसिह पिकअप गाडी नंबर आरजे 18 जीए 8765 में हरियाणा से डीजल–पैट्रोल भरकर उसे रास्ते में मिलने वाले किसानो व आस–पास के ईलाके में बेचता है। (6)घटना दिनांक 25.08.2022 को भी नामजद जयसिह पिकअप गाडी नम्बर आर जे 18 जीए 8765 में हरियाणा सीमा से लगते रोही गोद बलाहा में स्थित फिलिग स्टेशन से ड्रमों में डीजल–पैट्रोल भरकर लाया था और उसे राजस्थान में रोही नावता में नावता से गोद बलाहा जाने वाले कच्चे रास्ते पर मोटरसाईकिल वालो को बेच रहा था, तब अभियुक्त जयसिह को अवैध डीजल–पैट्रोल बेचते हुये पुलिस ने पकड लिया। प्रकरण हाजा में की गई तकमिल तफ्तीश बयानात मुस्तगीस व गवाहान, नक्शा मौका मय हालात मौका घटनास्थल, फर्दजब्ती पिकअप गाडी मय डीजल–पैट्रोल, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम, चैकलिस्ट अभियुक्त, फर्द जब्ती कागजात, नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट व प्राप्त जवाब, दीगर अनुसंधान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नामजद अभियुक्त जयसिंह पुत्र श्री रामपत उर्फ रामप्रताप, जाति जाट, उम्र 34 साल, निवासी मुरादपुर, पुलिस थाना सिंघाना, जिला झुंझुनूं राज0 के खिलाफ ''राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापत्र और नियन्त्रण) आदेश 1990'' तथा मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (पदार्थ और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005'' का उल्लंघन किये जाने पर जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 का अपराध बखूबी साबित पाया गया है। प्रकरण हाजा में तकमिल तफ्तीश पूर्ण हो चुकी है। मुकदमा उनवान में जब्तशुदा वाहन नंबर आरजे 18 जीए 8765 व इसके वाहन स्वामी से अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है, यदि उक्त जब्तशुदा वाहन को माननीय न्यायालय द्वारा सुपुर्दगी पर वाहन स्वामी को दिया जाता है तो इसमें पुलिस को कोई आपत्ती नही है। अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट वास्ते अवलोकनार्थ श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उनवानी प्रकरण से थाना पचेरी कलां जिला झुंझुनूं के द्वारा प्रार्थी का वाहन पिकअप आर0जे0 18 जीए 8765 जप्त किया गया है। जिसका प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है इसलिये सुपुर्दगी पर लेना है। वाहन खडा रहने से उसके खराब होने की सम्भावना है पुलिस को वाहन की आवश्यकता ही है। प्रकरण के निर्णय में समय लगने की सम्भावना है। प्रकरण में उक्त वाहन की आवश्यकता नही है। प्रकरण में निर्णय में काफी समय लगने की सम्भावना है इसलिये वाहन खडा रहने से खराब होने की सम्भावना है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा करने को तैयार है। अन्य उजरात वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगे। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार कर प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.01 12:41:43 IST
Reason: SelfAttested

विभागीय प्रतिनिधि ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का वाहन पिकअप आर0जे0 18 जीए 8765 से 07 [illegible] के ड्रमों प्रत्येक मे लगभग 200–200 लीटर डीजल, एक छोटे नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम में लगभग 50 लीटर पैट्रोल, इस प्रकार 7 बडे ड्रमों मे कुल 1400 लीटर डीजल तथा एक छोटे ड्रम में लगभग 50 लीटर पैट्रोल, एक ड्रमों से तेल निकालने की बैरल मशीन जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी हुई तथा दो तेल नापने के नापे एक 01 लीटर का व 2 लीटर नाप एफ0आई0आर0 नं0 132/2022 मे पुलिस थाना सदर पचेरी कलां मे जप्त हुआ था।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(22)

प्रार्थी द्वारा वाहन पिकअप नं0 आर0जे0 18 जीए 8765 मे डीजल–पेट्रोल का बिक्री के उद्देश्य से अवैध परिवहन किया है जो ई0सी0 एक्ट का उल्लघंन है। अतः प्रार्थी का सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। एवं जप्तशुदा 07 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रमों प्रत्येक मे लगभग 200–200 लीटर डीजल, एक छोटे नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम में लगभग 50 लीटर पैट्रोल, इस प्रकार 7 बडे ड्रमों मे कुल 1400 लीटर डीजल तथा एक छोटे ड्रम में लगभग 50 लीटर पैट्रोल, एक ड्रमों से तेल निकालने की बैरल मशीन जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी हुई तथा दो तेल नापने के नापे एक 01 लीटर का व 2 लीटर नाप को राजसात कर खुली निलामी मे बिक्री कर राशि राजकोष मे जमा कराने के आदेश प्रदान किये जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया किया। प्रकरण मे डीजल व पेट्रोल हरियाणा से लाया जाना स्वयं प्रार्थी ने स्वीकार किया है। जप्तशुदा डीजल की मात्रा 1400 लीटर, जप्तशुदा पेट्रोल की मात्रा 50 लीटर, 7 बडे ड्रम व 1 छोटा ड्रम, एक ड्रमों से तेल निकालने की बैरल मशीन जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी हुई तथा दो तेल नापने के नापे एक 01 लीटर का व 2 लीटर नाप है। इतनी मात्रा मे हरियाणा से बिना किसी अनुमति के प्रार्थी उक्त डीजल एवं पेट्रोल राजस्थान मे लाया है जबकि राजस्थान मे डीजल एवं पेट्रोल पम्प पहले से उपलब्ध है। इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रार्थी टैक्स बचाने के लिए डीजल एवं पेट्रोल वहां से लेकर आया है। प्रकरण का अन्तिम निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा सेक्शन 3/7 के तहत किया जाना है। हम प्रकरण का निस्तारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए तथा 6बी के तहत डीजल, पेट्रोल एवं वाहन सं0 पिकअप आर0जे0 18 जीए 8765 का अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अतः जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह जप्तशुदा डीजल की मात्रा 1400 लीटर, जप्तशुदा पेट्रोल की मात्रा 50 लीटर, 7 बडे ड्रम व 1 छोटा ड्रम, एक ड्रमों से तेल निकालने की बैरल मशीन जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी हुई तथा दो तेल नापने के नापे एक 01 लीटर का व 2 लीटर नाप का खुली निलामी के जरिये निस्तारण करें तथा निलामी राशि को नियमानुसार कार्यवाही कर राजकोष मे जमा करावें तथा जप्त वाहन पिकअप आर0जे0 18 जीए 8765 को 5–5 लाख का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के अन्तरिम आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं एवं जिला पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक **06.10.2022** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.01 12:41:43 IST
Reason: SelfAttested